"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जून 2016—— ज्येष्ठ 31, शक 1938

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-01/दो-गृह/सै. क./2013. —राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिक/सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिए अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ 12-01/दो-गृह/सै. क./2013, दिनांक 30 जनवरी, 2014 के माध्यम से राज्य प्रबंधन समिति का गठन किया है;

अतएव, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

1. सरल क्रमांक 4 के तत्स्थानी सरल क्रमांक 2 में, शब्द "अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग" के स्थान पर, शब्द "प्रमुख सचिव, गृह विभाग" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"5. अशासकीय सदस्य

1. कर्नल के. एल. यादव (से. नि.),
एचआईजी-II, 14, सेक्टर-1,
डीडीयू नगर, पोस्ट ऑफिस-आरएसएसयू,
रायपुर, छत्तीसगढ़-492010

2. ले. कर्नल जे . एस. एस. कक्कड़ (से. नि.),
मेजर कक्कड़ हाउस, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़

3. श्री तेजिन्दर सिंह गगन,
डी-1/302, व्हीआईपी करिश्मा कॉम्प्लेक्स,
रेल्वे क्रासिंग के पास, खम्हारडीह,
विधान सभा मार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007

4. सुश्री सुधा सक्सेना,
ई 19/1, वल्लभ कॉलोनी,
टैगोर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़."

3. ऊपर उल्लिखित अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल, उनके नामांकन की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा.

No. F 12-01/2-Home/DSW/2013. — Whereas, the State Government has constituted the State Managing Committee for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen/Armed Forces Flag Day Fund, Chhattisgarh vide its notification No. F 12-01/2-Home/DSW/2013, dated 30th January, 2014;

Now therefore, the State Government, hereby, makes the following amendment in the said notification, namely :-

AMENDMENT

In the said notification :-

1. In serial number 2 corresponding to serial number 4, for the words "Additional Chief Secretary, Home Department", the words "Principal Secretary, Home Department" shall be substituted.

2. For serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"5. Non-official Members

1. Col. K. L. Yadav (Retd.),
HIG-II, 14, Sector-I,
DDU Nagar, PO-RSSU,
Raipur, Chhattisgarh-492010.

2. Lt. Col. J. S. S. Kakar (Retd.),
Major Kakar House,
Shyam Nagar Road,
Katora Talab, Raipur,
Chhattisgarh.

3. Shri Tejinder Singh Gagan,
D-1/302, VIP Karishma Complex,
Near Railway Crossing Khamardih,
Vidhan Sabha Marg, Raipur,
Chhattisgarh-492007

4. Ms. Sudha Saxena,
E 19/1, Vallabh Colony,
Tagore Nagar, Raipur, Chhattisgarh."

3. The tenure of the above mentioned non-official members shall be for the period of 2 years from the date of nomination.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रंजन, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.